

मामलों का विवरण

कृषिक का पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त सहयोगात्मक आवास समाज
वी.

अमीना बेगम और अन्य (2023 की सिविल अपील संख्या 7903) 1 दिसंबर, 2023

[बी. वी. नागरत्ना और उज्जल भुवन, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:प्रत्यर्थी के नेतृत्व में एक पक्षीय डिक्री को दरकिनार करने की याचिका को सुनवाई अदालत ने खारिज कर दिया था। नतीजतन, आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एकतरफा डिक्री को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया गया। पुनरीक्षण में, उच्च न्यायालय ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके द्वारा विलंब की माफी की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिससे आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत याचिका को अनुमति दी गई थी जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय का आदेश चाहे न्यायसंगत हो।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश IX आर। 13; s. 115-बेचने के लिए एक समझौते के विशिष्ट सी निष्पादन की डिक्री की मांग करने वाले अपीलकर्ता के नेतृत्व वाले मुकदमे-एक-पक्षीय डिक्री पारित-प्रतिवादी ने यू/ऑर्डर IX आर के तहत एक आवेदन का नेतृत्व किया। 13 एक-पक्षीय डिक्री को दरकिनार करने के साथ-साथ देरी की माफी के लिए एक आवेदन-खारिज-संशोधन याचिका के कारण यू/एस। 115, उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेश को दरकिनार कर दिया जिसका अर्थ है कि याचिका में यू/ऑर्डर IX आर का नेतृत्व किया गया है। 13 जिसे भी खारिज कर दिया गया था, उसे अनुमति दी गई थी-स्वामित्व:

आयोजित किया गया:जब आदेश IX आर के तहत कोई आवेदन या याचिका दायर की जाती है। 13 सी. पी. सी. खारिज कर दिया जाता है, प्रतिवादी आदेश XLIII आर के संदर्भ में अपील को प्राथमिकता देकर एक उपाय का लाभ उठा सकता है। 1 सी. पी. सी.-इस प्रकार, सिविल संशोधन याचिका यू/एस. 115 सी. पी. सी. का मामला तब नहीं उठेगा जब आदेश IX आर के तहत कोई आवेदन/याचिका हो। 13 सी. पी. सी. को खारिज कर दिया जाता है-इस प्रकार, जब एक पक्षीय डिक्री के खिलाफ एक प्रतिवादी के लिए एक वैकल्पिक और प्रभावी अपीलीय उपाय उपलब्ध होता है, तो प्रतिवादी के लिए यू/एस के संशोधन का सहारा लेना उचित नहीं होगा। 115 842 में से

सी. पी. सी. आदेश XLIII आर के तहत अपीलीय उपचार को देखते हुए प्रतिवादी को एकतरफा स्थापित करने के आदेश को दरकिनार करने से इनकार करने वाले आदेश को चुनौती देता है।¹(घ) सी. पी. सी. उपलब्ध होने के कारण, तत्काल मामले में दायर सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत संशोधन बनाए रखने योग्य नहीं था-जब सी. पी. सी. या किसी भी कानून के तहत एक स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध है जिसके तहत एक अपील बनाए रखने योग्य है, तो उसे पारित करते हुए, एक संशोधन याचिका दायर नहीं की जा सकती है-विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है-वैकल्पिक उपाय।[पैरा 16,17]

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील सं. 7903।2018 के सी. आर. पी. No.4866 में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के दिनांक 08.01.2021 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

सी. एस. वैद्यनाथन, गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्ता।, विनय पी. त्रिपाठी, सुश्री मोनालिसा कोसरिया, बी. श्रवण शंकर, बी. यशवंत राज, विनायक गोयल, नितीश राज, सुश्री शिवानी विज, सुश्री जान्हवी दुबे, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

साजन पूवय्या, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती संजंती साजन पूवय्या, येलामंचिली शिव संतोष कुमार, रुद्रजीत घोष, तरुण गुप्ता, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश
आदेश

1. छुट्टी दे दी गई।

2. हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सिविल संशोधन याचिका संख्या 4866/2018 में पारित दिनांक 08.01.2021 के आदेश से व्यथित होने के कारण, इस अपील को प्राथमिकता दी गई है।³ हमने श्री सी. एस. वैद्यनाथन, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री गोपाल शंकरनारायणन, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील और श्री साजन पूवय्या, प्रथम प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील और 843 के साथ सुना है।

द कौशिक मल्टी एडेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम अमीना बेगम और एक और 844

अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।इस न्यायालय के दिनांकित 25.04.2023 आदेश के संदर्भ में दूसरे प्रतिवादी को पक्षों की श्रेणी से हटा दिया गया है।⁴ संक्षेप में कहा गया है कि तथ्य यह

है कि अपीलार्थी ने वी-सीनियर सिविल जज, सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद के निर्णय पर ओ. एस. <आई. डी. 1 का नेतृत्व किया था, जिसमें दिनांकित 26.04.1985 को बेचने के समझौते के विशिष्ट सी प्रदर्शन की डिक्री की मांग की गई थी। उक्त मुकदमे में, प्रतिवादी (ओं) को यहाँ से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद, 15.02.1999 पर एक एकतरफा आदेश पारित किया गया। यह कहा गया है कि एकतरफा डिक्री के खिलाफ निष्पादन कार्यवाही अभी भी निष्पादन न्यायालय के समक्ष लंबित है। हालांकि, इसमें पहले प्रतिवादी ने 07.01.2016 पर एक आवेदन का नेतृत्व किया जिसमें सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत एक आवेदन के साथ दिनांकित 15.02.1999 के एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने की मांग की गई थी, जिसमें एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने की मांग करने वाले उक्त आवेदन में 5767 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की गई थी।

5. दिनांक 07.06.2018 के आदेश द्वारा, वी-सीनियर सिविल जज, सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद ने आई. ए. No.30/2016 एफ. आई. को खारिज कर दिया, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सुविधा के लिए 'सी. पी. सी.') के ओडर IX नियम 13 के तहत एकतरफा डिक्री को रद्द करने की मांग करने वाले आवेदन में 5767 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की गई थी। उक्त आवेदन पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया गया था और दिनांक 07.06.2018 के आदेश द्वारा, देरी की माफी की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया गया था। नतीजतन, आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने की याचिका भी खारिज कर दी गई।

6. इससे व्यथित होकर, प्रथम प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत एक नागरिक संशोधन याचिका का नेतृत्व करते हुए तर्क दिया कि निचली अदालत ने 5767 दिनों की देरी को माफ करने की मांग करने वाले आवेदन को खारिज करने में सही नहीं था।

7. दिनांक 08.01.2021 के विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने O. S. No.1144/1988 में I. A. No.30/2016 में पारित दिनांकित 07.06.2018 के आदेश को दरकिनार कर दिया है, जिसका यह भी तात्पर्य है कि आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत दायर याचिका, जिसे भी खारिज कर दिया गया था, की अनुमति दी गई है। सिविल पुनरीक्षण याचिका में, उच्च न्यायालय ने आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत याचिका दायर करने में 5767 दिनों की देरी को माफ कर दिया, जिसमें निचली अदालत को आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत याचिका का निपटारा करने और मामले की सुनवाई पूरी करने का निर्देश देकर दिनांक 1 के एकतरफा आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि की प्राप्ति की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से मुकदमा दायर करें।

8. उच्च न्यायालय द्वारा सिविल संशोधन याचिका में पारित उक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, वादी/अपीलार्थी ने इस अपील को प्राथमिकता दी है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हमने

संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है और रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया है।

9. शुरुआत में, इस न्यायालय ने पूछा कि आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत याचिका में देरी को माफ करने की मांग करने वाले आवेदन को खारिज करने वाले निचली अदालत द्वारा पारित आदेश के खिलाफ एक नागरिक संशोधन याचिका कैसे बनाए रखने योग्य थी और इसके परिणामस्वरूप उक्त याचिका को भी खारिज या खारिज कर दिया गया था।

10. प्रस्तुतियों के दौरान, यह नोट किया गया कि वास्तव में, आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एक याचिका की अस्वीकृति एक अपील योग्य आदेश है और इसलिए आदेश XLIII नियम 1 (डी) सी. पी. सी. के तहत, सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत सिविल संशोधन याचिका के बजाय उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील की जानी चाहिए थी।

11. तत्काल संदर्भ के लिए, आदेश XLIII नियम 1 (डी) सी. पी. सी. को सी. पी. सी. की धारा 115 के साथ जोड़ा गया है:

“आदेश XLIII नियम 1 आदेशों से अपील-धारा 104 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित आदेशों से अपील होगी, अर्थात्:- ((a) XXX

((c) XXX

(घ) आदेश IX के नियम 13 के तहत एक आदेश जो एकतरफा पारित डिक्री को दरकिनार करने के आदेश के लिए एक आवेदन (अपील के लिए खुले मामले में) को खारिज करता है।”

धारा 115-संशोधन।

(1) उच्च न्यायालय किसी ऐसे मामले का अभिलेख मंगवा सकता है जिसका निर्णय ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा किया गया है और जिसमें कोई अपील नहीं है, और यदि ऐसा अधीनस्थ न्यायालय प्रकट होता है -क) कानून द्वारा निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है, या (ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है, या 845

द कौशिक मल्टी एडेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम अमीना बेगम और एक और 846

(ग) अवैध रूप से या भौतिक अनियमितताओं के साथ अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में कार्य किया है,

उच्च न्यायालय मामले में ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह सोचता है: बशर्ते कि उच्च न्यायालय, इस धारा के तहत, किसी वाद या अन्य कार्यवाही के दौरान किए गए किसी आदेश या किसी मुद्दे पर निर्णय लेने वाले किसी आदेश को परिवर्तित या उलट नहीं करेगा, सिवाय इसके कि आदेश, यदि यह पुनरीक्षण के लिए आवेदन करने वाले पक्ष के पक्ष में किया गया होता, तो वाद या अन्य कार्यवाही का स्वाभाविक रूप से निपटारा कर देता।

(2) उच्च न्यायालय, इस धारा के तहत, किसी भी डिक्री या आदेश को परिवर्तित या उलट नहीं करेगा जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ किसी भी न्यायालय में अपील की जाती है।

(3) पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्यवाही पर रोक के रूप में कार्य नहीं करेगा, सिवाय इसके कि उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही पर रोक लगा दी गई हो।

स्पष्टीकरण।—इस धारा में, "कोई भी मामला जिसका निर्णय लिया गया है" अभिव्यक्ति में किसी वाद या अन्य कार्यवाही के दौरान किया गया कोई आदेश, या किसी मुद्दे का निर्णय करने वाला कोई आदेश शामिल है।”

12. एकतरफा डिक्री के विपरीत, एक प्रतिवादी के पास उसके लिए तीन उपाय उपलब्ध हैं। पहला, आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एकतरफा डिक्री को रद्द करने की मांग करने वाला आवेदन है; दूसरा, सी. पी. सी. की धारा 96 (2) के तहत एकतरफा डिक्री के खिलाफ अपील है और तीसरा, एकतरफा डिक्री के खिलाफ उसी अदालत के समक्ष समीक्षा के माध्यम से है।

13. आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन की अंतिम भाषा के साथ-साथ एकतरफा डिक्री के खिलाफ सी. पी. सी. की धारा 96 (2) के तहत अपील की अंतिम भाषा एक प्रतिवादी के लिए उपलब्ध समवर्ती उपचार हैं। हालांकि, एक बार जब प्रतिवादी द्वारा एकतरफा डिक्री के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया जाता है, सिवाय इसके कि जब इसे वापस ले लिया जाता है, तो आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत उपचार को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके विपरीत, यदि आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो सी. पी. सी. की धारा 96 (2) के तहत एकतरफा डिक्री के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी जा सकती है और जारी रखा जा सकता है। इस प्रकार, आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन को खारिज करने के बाद भी एक एकतरफा डिक्री के खिलाफ अपील विचारणीय है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

14. भानु कुमार जैन बनाम अर्चना कुमार, ए. आई. आर 2005 एस. सी. 626:(2005)

1 एस. सी. सी. 787, सिन्हा के माध्यम से बोलते हुए, जे. ने पैराग्राफ 26 में कहा: “जब एक पक्षीय डिक्री पारित की जाती है, तो प्रतिवादी के पास दो स्पष्ट विकल्प होते हैं, एक अपील दायर करने के लिए और दूसरा संहिता के आदेश IX नियम 13 के संदर्भ में आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर करने के लिए। वह एक साथ दोनों कार्यवाहियों का सहारा ले सकता है, लेकिन यदि अपील खारिज कर दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप निचली अदालत द्वारा पारित एकतरफा डिक्री अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश के साथ मिल जाती है, तो संहिता के आदेश IX नियम 13 में संलग्न स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए आदेश IX नियम 13 के तहत एक याचिका बनाए

रखने योग्य नहीं होगी। हालाँकि, उक्त प्रावधान के साथ मैंने जो स्पष्टीकरण जोड़ा है, वह यह नहीं बताता है कि इसका उल्टा भी सच है।”

15. आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत पारित आदेश के खिलाफ एकतरफा पारित डिक्री को रद्द करने की मांग के लिए एक आवेदन को खारिज करते हुए, एक अपील प्रदान की जाती है। जब एक एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने की मांग के लिए देरी की माफी की मांग करने वाला एक आवेदन दायर किया जाता है और उसे खारिज कर दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप, याचिका भी खारिज कर दी जाती है, तो आदेश XLIII नियम 1 (डी) सीपीसी के तहत अपील कायम रखी जा सकती है। इस प्रकार, केवल एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने से इनकार करने के खिलाफ अपील विचारणीय है, जबकि यदि इस तरह के आवेदन की अनुमति देने वाला आदेश पारित किया जाता है, तो वह अपील योग्य नहीं है।

16. इस प्रकार, जब आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन या याचिका खारिज कर दी जाती है, तो प्रतिवादी आदेश XLIII नियम 1 सी. पी. सी. के संदर्भ में अपील को प्राथमिकता देकर एक उपाय का लाभ उठा सकता है। इस प्रकार, सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत सिविल संशोधन याचिका तब उत्पन्न नहीं होगी जब आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन/याचिका खारिज कर दी जाती है। इस प्रकार, जब एक पक्षीय डिक्री के खिलाफ एक प्रतिवादी के लिए एक वैकल्पिक और प्रभावी अपीलीय उपाय उपलब्ध होता है, तो प्रतिवादी के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण का सहारा ले, जिसमें प्रतिवादी को एक पक्ष में रखने के आदेश को रद्द करने से इनकार करने वाले आदेश को चुनौती दी गई हो। आदेश XLIII नियम 1 (डी) सी. पी. सी. के तहत अपीलीय उपचार उपलब्ध होने के कारण, तत्काल मामले में सी. पी. सी. एफ. आई. की धारा 115 के तहत संशोधन बनाए रखने योग्य नहीं था। 17. जब सी. पी. सी. या किसी कानून के तहत एक स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध है जिसके तहत एक अपील बनाए रखने योग्य है, तो उसे पारित करते हुए, 847

द कुशिक मल्टी एडेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम अमीना बेगम एंड अनदर

पुनरीक्षण याचिका का नेतृत्व नहीं किया जा सकता है। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलीय उपचार के अभाव में, एक संशोधन बनाए रखने योग्य हो सकता है।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि एक बार ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर IX रूल 13 सी. पी. सी. के तहत लिंग याचिका में देरी की माफी की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया, और इसके परिणामस्वरूप, ऑर्डर IX रूल 13 सी. पी. सी. के तहत मुख्य याचिका भी खारिज हो गई, जिसे ट्रायल कोर्ट द्वारा "परिणाम में, याचिका खारिज कर दी गई है" के रूप में भी नोट किया गया है।

19. उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका की स्थिरता के संबंध में इस पहलू को महसूस करते हुए, श्री साजन पूवय्या, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अपील करने के लिए इसमें पहले प्रतिवादी को स्वतंत्रता दी जा सकती है और यदि इस तरह की अपील इस न्यायालय द्वारा दी जाने

वाली समय सीमा के भीतर की जाती है, तो आदेश XLIII नियम 1 (डी) सीपीसी के तहत अपील को सीमित करने का मुद्दा उच्च न्यायालय द्वारा नहीं उठाया जा सकता है।

जवाब के माध्यम से, श्री सी. एस. वैद्यनाथन, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और स्वतंत्रता इसमें पहले प्रतिवादी के लिए आरक्षित है, तो अपीलार्थी इस तरह के आदेश से पूर्वाग्रहित नहीं हो सकता है।²⁰ इन परिस्थितियों में, हमने विवादित आदेश को इस आधार पर दरकिनार कर दिया कि उक्त आदेश एक नागरिक संशोधन याचिका में पारित किया गया था जो सी. पी. सी. की धारा 115 के तहत बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं था। हालाँकि, आदेश XLIII नियम 1 (डी) सी. पी. सी. के तहत अपील करने के लिए स्वतंत्रता प्रथम प्रतिवादी के लिए आरक्षित है, यदि ऐसा सलाह दी जाती है, तो 31.12.2023 पर या उससे पहले।

21. यदि ऐसी अपील उच्च न्यायालय के समक्ष की जाती है, तो उच्च न्यायालय द्वारा सीमा का मुद्दा नहीं उठाया जाना चाहिए।

22. यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि उच्च न्यायालय कानून के अनुसार प्रथम प्रतिवादी के नेतृत्व में की जाने वाली अपील का निपटारा करेगा।²³ दोनों पक्षों की सभी दलीलों को खुला छोड़ दिया जाता है, जिन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष दायर करने के लिए अपील में आगे बढ़ाया जाता है।

24. इस अपील की अनुमति दी जाती है और उपरोक्त शर्तों में इसका निपटारा किया जाता है। कोई लागत नहीं।

लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे